रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07022020-215988
CG-DL-E-07022020-215988

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 59] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 3, 2020/माघ 14, 1941
No. 59] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 3, 2020/MAGHA 14, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

प्रारूप अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2020

सा.का.नि. 77(अ).—पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 और धारा 5 की उप-धारा (2) के खंड (v) के उप-खंड (1) के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय) में तारीख 4 अप्रैल, 2016 को जारी भारत सरकार की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 395(अ) (इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना के रूप में उल्लिखित) द्वारा, केन्द्रीय सरकार ने परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) नियम, 2016 के लिए निदेश जारी किए।

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) में प्रावधान किया गया है कि जब कभी केन्द्रीय सरकार विचार करती है कि किसी क्षेत्र में किसी उद्योग को या किसी प्रक्रिया या प्रचालन को निषिद्ध या प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, वह इस आशय का नोटिस दे सकती है;

अत: अब केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 और धारा 5 की उप-धारा (2) के खंड (v) के उप-खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे प्रभावित होने वाले लोगों के सूचनार्थ उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन लाने का प्रस्ताव करती है और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप संशोधन अधिसूचना पर राजपत्र, जिसमें इस अधिसूचना को प्रकाशित किया जाता है, की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से साठ दिनों की अवधि पूरा होने की तारीख को या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा।

केन्द्रीय सरकार उक्त प्रारूप संशोधनों के संबंध में उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी व्यक्ति से प्राप्त होने वाले आक्षेप या सुझाव पर विचार करेगी।

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003 को या निदेशक (एचएसएमडी) ई-मेल पते पर अर्थात् i.e.m.gangeya@gov.in / sonu.singh@gov.in पर प्रेषित किए जाएं।

प्रारूप संशोधन

1. (1) इन नियमों को परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) संशोधन नियम, 2020 कहा जाएगा।

(2) वे राजपत्र में अपने प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) नियम, 2016 में:-

(i) नियम 5 में, उप-नियम (2) के अंतर्गत खंड (क), (ग) और (घ) निम्नवत् प्रतिस्थापित किए जाएंगे:

''(क) परिसंकटमय अपशिष्टों के उत्पादन, हथालन, एकत्रीकरण, प्राप्ति, शोधन, परिवहन, भंडारण, पुन:उपयोग, पुनर्चक्रण पुन:प्राप्ति, पूर्व-प्रसंस्करण, सह-प्रसंस्करण सहित उपयोग और निपटान में शामिल श्रमिकों की मान्यता और पंजीकरण सुनिश्चित करना;

(ग) परिसंकटमय अपशिष्टों के उत्पादन, हथालन, एकत्रीकरण, प्राप्ति, शोधन, परिवहन, भंडारण, पुन:उपयोग, पुनर्चक्रण पुन:प्राप्ति, पूर्व-प्रसंस्करण, सह-प्रसंस्करण सहित उपयोग और निपटान में शामिल श्रमिकों के लिए औद्योगिक कौशल विकास कार्यकलाप आरंभ करना;

(घ) वार्षिक निगरानी करना और परिसंकटमय अपशिष्टों के उत्पादन, हथालन, एकत्रीकरण, प्राप्ति, शोधन, परिवहन, भंडारण, पुन:उपयोग, पुनर्चक्रण पुन:प्राप्ति, पूर्व-प्रसंस्करण, सह-प्रसंस्करण सहित उपयोग और निपटान में शामिल श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना।''

[फा. सं. 23/67/2018-एचएसएम]
गीता मैनन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 395 (अ), तारीख 03 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि 177 (अ) तारीख 6 जुलाई, 2016; सा.का.नि. 177 (अ) तारीख 28 फरवरी, 2017; सा.का.नि. 544 (अ) तारीख 11 जून, 2018 और सा.का.नि. 178 (अ) तारीख 01 मार्च, 2019 द्वारा उन्हें संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

DRAFT NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2020

G.S.R. 77(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (erstwhile Ministry of Environment & Forests) GSR 395 (E) dated the 4th April 2016 (hereinafter referred to as the said notification) issued under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 and section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government, issued directions for Hazardous and Other waste (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016.

And whereas clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever the Central Government considers that prohibition or restrictions of any industry or carrying on any processes or operation in any area should be imposed, it shall give notice of its intention to do so;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 and section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government proposes to make the following further amendments in the said notification for the information of the public likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft amendment notification will be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Official Gazette, in which this notification is published, are made available to the public.

The objection or suggestion, which may be received from any person with respect to the said draft amendments within the period specified above, will be taken into consideration by the Central Government.

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110003, or send it to Director (HSMD) e-mail address i.e. m.gangeya@gov.in / sonu.singh@nic.in.

Draft amendments

1. (1) These rules may be called the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Amendment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016:-

(i) in rule (5), under sub-rule (2), clauses (a), (c) and (d) shall be replaced as follows:

"(a) ensure recognition and registration of workers involved in generation, handling, collection, reception, treatment, transport, storage, reuse, recycling, recovery, pre-processing, utilisation including co-processing and disposal of hazardous wastes;

(c) undertake industrial skill development activities for the workers involved in generation, handling, collection, reception, treatment, transport, storage, reuse, recycling, recovery, pre-processing, utilisation including co-processing and disposal of hazardous wastes;

(d) undertake annual monitoring and to ensure safety and health of workers involved in generation, handling, collection, reception, treatment, transport, storage, reuse, recycling, recovery, pre-processing, utilisation including co-processing and disposal of hazardous wastes."

[F. No. 23/67/2018-HSM]

GEETA MENON, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 395(E), dated 04th April 2016 and subsequently amended *vide* G.S.R. 670(E) dated the 6th July, 2016; G.S.R. 177(E) dated 28th February, 2017; G.S.R. 544(E) dated 11th June 2018; and G.S.R. 178 (E) dated 01 March 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.02.07 14:26:22 +05'30'